प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला

सेवा में

राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

यादी कमांक 13/89–2016–अ0स्था–I(1)

दिनांकः 09.09.2016

विषयः सामान्य स्थानान्तरण – 2016 जेबीटी/हैडटीचर वर्ग

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

सरकार ने नई स्थानान्तरण नीति दिनांक 29.06.2016 अनुसार जेबीटी/ हैड टीचर वर्ग के स्थानान्तरण करने का निर्णय लिया है ।

सभी स्थानान्तरण योग्य अध्यापक अपनी इच्छा अनुसार जोन एवं विद्यालय का वरीयता अनुसार विकल्प एमआईएस पोर्टल पर दिनांक 09.09.2016 से 13.09.2016 रात्रि 11:59:59 तक भर सकते हैं । इसके उपरान्त पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी । उपरोक्त तिथि व समय तक अपना विकल्प न देने वाले स्थानान्तरण योग्य अध्यापकों को विभाग द्वारा किसी भी विद्यालय में लगाया जा सकेगा और इसके लिये कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा । सभी स्थानान्तरण योग्य अध्यापकों को सलाह दी जाती है कि विकल्प देते समय प्रत्येक जोन में अधिकतम विद्यालयों का चयन करें ताकि उन्हे उनकी इच्छानुसार विद्यालय का आबंटन हो सके ।

अध्यापकों की सुविधा हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री विभाग की वैबसाईट www.schooleducationharyana.gov.in पर बनाये गये विशेष पेज 'teacher transfer policy 2016' पर एवं www.harprathmik.gov.in पर उपलब्ध है ।

यह भी सूचित किया जाता है कि जिन अध्यापकों का अन्तरजिला (मेवात जिला को छोड़कर) स्थानान्तरण किया गया है वे भी अपने–अपने आबंटित जिला में जोन व विद्यालयों का चयन करेंगे ।

संयुक्त निदेशक अध्यापक स्थापना
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक : 09.09.2016

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैः–

1. वरिष्ठ सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. पी0ए0 निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला
3. पी0ए0 निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला
4. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन/संयुक्त निदेशक प्रशासन

संयुक्त निदेशक अध्यापक स्थापना
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला